

**कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल हथुआ।**

पत्रांक:- ...800...

/ हथुआ।

दिनांक:- ...12/...6/...2021.....

प्रेषक

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

सेवा में,

Harikesh Singh.
At- Tarawa, Post- Hathua,
Distt- Gopalganj.

विषय — पथ का अनुरक्षण कार्य सम्पन्न करने के संबंध में।

प्रसंग — एकरारनामा संख्या-...07/SBD/MMGSY/2017-18.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि इस कार्य प्रमण्डल अधीन MMGSY-WB योजना अन्तर्गत मुख्य पथ कालोपट्टी से बलुआ टोला लम्बाई— 1.744 कि०मी० का पथ मूल निर्माण कार्य आपके द्वारा दिनांक-06.05.2018 को सम्पन्न किया जा चुका है। उक्त पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य कराया जाना भी आपके द्वारा एकरारित है।

संबंधित सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आपके द्वारा उक्त पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ का 03 दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य समुचित रूप से सम्पन्न कर संबंधित कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके एकरारनामा को विखण्डन कर कालीसूची में दर्ज करने की अनुशंसा उच्चाधिकारी को की जाएगी एवं आपके द्वारा किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इसकी सारी जाबाबदेही आपकी होगी। विदित हो कि इस कार्यालय द्वारा भी आपको पूर्व में निर्मित पथ का एकरारित अनुरक्षण कार्य सम्पन्न करने हेतु स्मारित किया जा चुका है।

इसे अंतिम स्मार समझें।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

ज्ञापक:- ...800.....

दिनांक:- 12-6-2021.

प्रतिलिपि— संबंधित कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल हथुआ को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि संवेदक से पथ में अनुरक्षण कार्य कराना सुनिश्चित करें अन्यथा संवेदक के विरुद्ध वांछित कार्रवाई की अनुशंसा अधोहस्ताक्षरी को किया जाए। इसमें आपके स्तर से किसी भी प्रकार की चुक अपेक्षित नहीं है।

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।